वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 715.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 में नियम 8, के उपनियम 8.4 स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8.4 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

[फा. सं. 6/1/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 2720 तारीख 16 दिसम्बर, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं.का.आ. 3719 तारीख 30 नवम्बर, 2002 और का.आ. 999(अ) तारीख 13 सितम्बर, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 715.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, in rule 8, for sub-rule 8.4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"8.4 The appeal shall be disposed of within thrity days of its receipt."

[F. No. 6/1/2000-EI&EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. No. 2720 dated the 16th December, 2000 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3719 dated 30th November, 2002 and S.O. 999(E) dated the 13th September, 2004.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 716.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 में नियम 8,—(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।"

(ii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 6/2/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 68 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 716.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, in rule 8,—

(i) for clause (d) the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt."

(ii) clause (e) shall be omitted.

[F. No. 6/2/2000-EI&EP]

RAJ SINGH, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. No. 68 (E) dated the 23rd January, 2003.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 717.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, शीतित, और प्रसंस्कृत मछली

IndiaCode